


फर्द अहकॉम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

खोलासिंह के कायग्रहण वनाम हरीसिंह कोरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 05/2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/01/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>सुधीपाल दात चारव</u> यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88, 91, 188, 207</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेसपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/2/23</u> को पेश हो।</p>	
15/02/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उर्फ श्रीवाडीगण के सम्मन तामिल/आडम तामिल अप्राप्त इत्तजार होकर पत्रावली आई-सा सिंगल 30/04/24 को पेश हो।</p>	
30/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठारिन अधिकारी दिनांक कार्यों में व्यस्त है, मिसल इस्तदा होकर पत्रावली पूर्व आवेभिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>24/6/24</u> को पेश हो।</p>	

24/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील बाही उप.
प्रतिवादीगण के समान Registered
आफ इए जिसे शामिल पत्रावली
किया जाता है। प्रतिवादी संख्या
2 की ओर से भविष्यवाणी श्री मुकीम
खान समेत ने कलकत्ता पेश किया
जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।
पत्रावली वस्ते प्रतिवादीगण के जवाब देव
आईन्दा दिनांक 16/07/2024 को पेश हो।



10/7/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगज
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 8/8/24
को पेश हो।

8/8/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दिगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 11/9/24 को पेश हो।

11/9/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगज
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24/10/24
को पेश हो।



24/10/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दिगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 27/12/24 पेश हो।

27/12/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगज
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 17/1/25
को पेश हो।

17/01/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरोक्त उत्पत्ती संख्या 2 के वकील अनु. पत्रावली वाले उत्पत्तीगण-8 जवाब हेतु आदेश दिनांक 25/02/25 को पेश हो।

25/02/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 के वकील अनु. प्रतिवादीगण के जवाब हेतु पत्रावली आदेश दिनांक 16/04/25 को पेश हो।

16/04/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 के वकील अनुपस्थित। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आदेश दिनांक 30/04/2025 को पेश हो।

30/04/25

दिनांक 30/04/2025 को राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आदेश दिनांक 21/05/25 को पेश हो।

21/5/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी बिजज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आदेश दिनांक 27/06/25 को पेश हो।

27/06/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आदेश दिनांक 18/07/25 को पेश हो।

18/07/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आदेश दिनांक 21/07/25 को पेश हो।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/07/25

पत्रावली पेश हुई। वही वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश भादु ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वस्ते पूर्व आदेश की पालना में आदेश दिनांक 06/08/25 को पेश हो।

06/08/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दोगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 09/09/25 को पेश हो।

09/09/25

पत्रावली पेश हुई। वही वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम किशोर ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वस्ते पूर्व प्रतिवादी 01 के जवाब हेतु आदेश दिनांक 15/09/2025 को पेश हो।

15/09/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दोगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 24/09/25 को पेश हो।

24/09/25

पत्रावली पेश हुई। वही वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के वकील उपस्थित। पत्रावली वस्ते पूर्व प्रतिवादी 01 के जवाब हेतु आदेश दिनांक 29/09/25 को पेश हो।

29/09/25

पत्रावली पेश हुई। वही वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 व 3 के वकील उपस्थित। वही वकील ने धारणा पत्र आदेश 22 नवंबर 2024 के अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसे शामिल किया जाता है। वही वकील ने संशोधित आवेदन पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वस्ते पूर्व प्रतिवादी के जवाब हेतु आदेश दिनांक 31/09/25 को पेश हो।

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि लेकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 8/12/25 को पेश हो।

21/10/25

8/12/25 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। पत्रावली वही प्रतिवादीगण के जवाब के इंतजार में आदेश दिनांक 12/01/26 को पेश हो।

12/01/26 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण वकील उप०। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण के जवाब के इंतजार में आईन्दा दि. 10/02/26 को पेश हो।

02/02/26 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। वादी वकील ने आर्चना पत्र वाले पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी लारीव पर ली जावे। वकील वादी के आर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेशी लारीव पर ली गई। वकील वादी ने आर्चना पत्र वाले पूर्व में किये गये दावे को किन्तु उर नया दावा पेश करने की अनुमति पेश करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान के न्यायालय में दिनांक 06-01-2024 को शमल्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 207 IV AC के तहत पेश किया था। जो न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में हमारे द्वारा पेश किये गये दावे में वादीगण के हितों को गुरुवारा व लिपितीय गलती से अनारि प्रतिवादी से। श्रीसिंह दल्ल पुत्र सुरसिंह का आधा हिस्सा लिखा गया है जबकि वास्तविक रूप से वरु सेटलमेंट से गुरुसिंह, मेरुसिंह, मेवसिंह मि. आनन्दसिंह का 2/3 हिस्सा है। मेरुसिंह व मेवसिंह लाजौलाद फौत हो गये। गुरुसिंह के तीन संताने है श्रीमसिंह, मोहनसिंह व हरिसिंह है।

Rouff

Damm
(वादी वकील)

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुक्म

श्रीमति लार्जालाद कोर्ट हो गया तथा हरि सिंह वचन में
ही सुरक्षित हो गोद चला गया। सुरक्षित डाक्टर
केसमें में 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादपत्र में लिपिरीय व
श्री जी गल्ली के कारण 1/2 हिस्सा बताया गया है
इसलिये वाद के विद्वा की अनुमति देते हुए नया वाद पैरा
उरने की अनुमति देने का आदेश उदान करावे।
वकील वादी का धारणा पत्र थायहित में लीटर
डिया जाऊर इस वाद को विद्वा डिया जाऊर तथा
वाद पैरा उरने की अनुमति देने का आदेश दिया
जाता है।

पञ्चवली फ़ैसल सुनार सेठर वरिवल वफ़र ही
लेख्ता से उम है